बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)
— :: कार्यालय आदेश ::—

कार्यालय आदेश सं0—उ0नि0—09/2016......04...../उर्दू, पटना, दिनांक 19-01-2017

उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अधीन कार्यरत टंककों को कार्यालय आदेश संख्या— 36/रा0, दिनांक 28.04.2014 द्वारा उच्च वर्गीय लिपिक घोषित किया गया है को ए0सी0पी0 नियमावली 2003 के प्रावधानों के आलोक में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन 12/24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर दिनांक 09.08.1999 या उसके बाद की तिथि से निम्नवत् अनुमान्य होगा :—

प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (Ist ACP)—4500—7000, पुनरीक्षित पी0बी0 2+ग्रेड पे 2800/—

द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (2ndACP)—5000—8000, पुनरीक्षित पी0बी0 2+ग्रेड पे 4200/—

2. वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार ऊपर देय वेतनमान दिनांक 28.04.2014 के प्रभाव से उत्क्रमित वेतनमान् (upgraded pay structure) में निम्नवत् उत्क्रमित किया जाता है :—

प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (Ist ACP)— 5500—9000, पुनरीक्षित पी0बी0 2 + ग्रेड पे 4600/—

द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (2ndACP)—6500—10500, पुनरीक्षित पी0बी0 2 + ग्रेड पे 4800/—

तृतीय रुपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (3rdMACP)—पी0बी0—2+ग्रेड पे—5400/—

3. वित्त विभाग के पत्रांक 5411 दिनांक 19.06.2015 के आलोक में उर्दू निदेशालय के कार्यालय आदेश सं0 87/रा0, दिनांक 13.07.2015 द्वारा दिनांक 20.12.2000 के प्रभाव से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन वेतनमान् 5500—9000 तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन 6500—10500 (अपुनरीक्षित) वेतनमान् में स्वीकृति प्रदान की गई थी, को वित्त विभाग के परामर्शानुसार 20.12.2000 के बदले 28.04.2014 से देय होगा।

उक्त के आलोक में दिनांक 28.04.2014 के पूर्व निकासी की गई राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।

4, कार्यालय आदेश संख्या—87/रा0 सह पठित ज्ञापांक 357/रा0, दिनांक 13.07.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

5. यदि भविष्य में वित्तीय उन्नयन के निर्धारण के पश्चात् कम या अधिक राशि का भुगतान अथवा अन्य किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो तद्नुसार उसकी भारपाई या वसूली की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

6. तत्संबंधी सूचना सभी सम्बन्धित को दी जाए।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 19/1
प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या–उ0नि0–09/2016.....50...../उर्दू, पटना, दिनांक...19-01-2017...

प्रति, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रति, सभी प्रमंडलायुक्त/जिला पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति, सभी सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रति, प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ दी जाती है।

प्रति, अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निदेशक–सह–अपर सचिव, राजभाषा/निदेशक, उर्दू–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,/उपनिदेशक, उर्दू/राजभाषा पदा0,उर्दू/लेखा प्रशाखा/बजट प्रशाखा/स्थापना शाखा, उर्दू निदेशालय, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती है।

प्रति, सभी सम्बन्धित उच्च वर्गीय लिपिक/निम्न वर्गीय लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रति, आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 19/1

प्रधान सचिव